



OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय

GST BHAVAN, LB STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD – 500004

जीएसटी भवन, एलबी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद – 500004

क्रम सं. **Serial No.**.....

जारी करने का र थाना **Place of Issue**

जारी करने का दिनांक **Date of Issue**.....

निर्यात प्रमाण पत्र **EXPORT CERTIFICATE**

(अगर निजी व याकितगत संपति को भविष्य य में भारत में पुनःआयात करने का आशय है तो ऐसी स्थिति में उपयोग करें)

(To be used in the case of private personal property intended to be re-imported into India subsequently

आगे का **PART - A**

मैं एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि निम्न नलिखित माल, मेरी निजी व याकितगत संपत्ति है और यह व याकितगत उपयोग के लिए है । मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि निर्यात पर शुल्क का द्वारेक का दावा नहीं किया जा रहा है ।

I hereby declare that the article/articles particulars of which are given below is/are my personal private property and is/are for my personal use not merchandise for sale. I further declare that draw back of duty is not being claimed of exportation.

निर्यातकर्ता / यारी का हस्ताक्षर **Signature of the Exporter/Passenger**

टिच पार्ट : पुनःआयात करने के समय, आयात शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए, माल, निर्यातकर्ता या उनके परिवार के रावासित व मैं होना चाहिए । निर्यात दिनांक से लेकर तीन वर्ष के अंदर उपर्युक्त त माल को भारत में वापस लाना चाहिए । उसे पुनःआयात करनेवाले व याकित को देश से अपने हर प्रस थान से पहले, सीमा शुल्क विभाग को उक त प्रमाण पत्र प्रस तुत करना चाहिए तथा इस पर एक ठाकित करना चाहिए ।

N.B.- To obtain exemption from import duty on re-importation, the article must remain in the ownership of the exporter, or of his family. It must be brought back to India within three years of the date of export. The person re-importing it must produce this certificate and get the same endorsed from the Customs, before every departure out of the Country.

निर्यातकर्ता का नाम और पता (र पट अक्षरों में) Exporter's name and address (In block letters) :
.....

पारपत्र विवरण : पारपत्र सं. Details of Passport: Passport No.
.....

जारी करने का दिनांक / र थान Date/Place of Issue :

माल का विवरण Description of articles (र थान तथा उत्तर पादक का नाम Name of the product & Manufacturer name)	माल के पहचान विवरण Identification of particulars (मेकर सं., मॉडल सं. एवं उत्तर पादन वर्ष Makes/Number, Model No. & year of manufacture)	मूल य Value टिक परी Remarks

दिनांक Date:

सीमा शुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of the Customs Officer

शिपस्ट प्रभारी स.अधिकारी त. अधिकारीक दवारा प्रतिहस्त ताक्षरित Countersigned I/c Shift AC.S

भाग छ PART - B

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त त माल के विवरण की जाँच की गयी है और सही पाया गया है। मेरे पर्यवेक्षणाधीन फ्लाइट सं. (निम्न नम्बरकार) में माल का लदान किया गया है।
Certified that the particulars of the articles noted above have been verified and found correct. Articles shipped under my supervision by flight No (as detailed below).

निम्न परी: अगर निर्यात प्रमाण पत्र पहले ही जारी जारी कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में, प्रस्तु आज एवरपार्ट पर सीमा शुल्क अधिकारी दवारा प्रमाण पत्र की प्रति को अपने रिकार्ड के लिए रखा जाए

।

N.B.— In case the Export Certificate has been issued in advance, a copy of the certificate may be retained by the Customs officer at the departing airport for their record.}

क्रम सं. S.No.	यात्रा का दिनांक journey	फ्लाइट विवरण Flight details	सीमा शुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर (सीमा शुल्क र टैम्प) Signature of Customs Officer (Customs Stamp)

दिनांक Date:

सीमा शुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of the Customs Officer